FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

पूर्ण राम **बनाम** हरीराम आदि

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 91 आरटीए नम्बर 113 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/158

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.05.2025	वादी पूर्ण राम पुत्र हरीराम जाति बावरी निवासी 3 एन जैड पी डी ए तहसील रायसिंहनगर की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 91 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 02.06.2025 को पेश हो।	सम्मन जारी 202 02/05/25
9/5/25	आज यह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी मे ली गई। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि उभय पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है। इसलिए पत्रावली आज पेशी में ली जाकर खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रार्थी द्वारा वादपत्र नोटप्रेस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	मैंने अपना हिसाब बराबर कर लिया। इसलिए मैं दावा चलाना नहीं चाहता। पूर्णराम